

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक 3(2)राज-6/2007/पार्ट/5

जयपुर, दिनांक: 12.09.2018

1. समस्त संभागीय आयुक्त
2. समस्त जिला कलेक्टर
राजस्थान।

परिपत्र

इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प 2 (4) राज-4/98/37 दिनांक 13.12.1991 के अन्तर्गत मंदिर माफी/देवमूर्ति की भूमियों के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी किये गये थे-

1. भविष्य में जो जमाबंदी राजस्व विभाग या बंदोबस्त विभाग द्वारा बनाई जाए, उनमें देवमूर्ति के साथ पुजारी या सेवायत का नाम नहीं लिखा जाए।
2. प्रशासनिक सुविधा के लिए एक रजिस्टर मंदिर के पुजारियों के संबंध में तहसील स्तर पर संलग्न प्रोफार्मा में अलग से रखा जाए, जिसमें जिन मंदिरों के पास कृषि भूमि है, उनके पुजारियों के नाम का अंकन किया जाए।
3. जो जमाबंदी बन चुकी है तथा वर्तमान में प्रभावशील है, उनमें देवमूर्ति के साथ जहां भी पुजारी का नाम आया है वहां पुजारी का नाम विलोपित कर दिया जाए तथा ऊपर वर्णित रजिस्टर में लिखा जाए, इस बाबत स्पष्ट नोट जमाबंदी के रिमार्क के कॉलम में अंकित किया जाए।

इसका संभावित उद्देश्य यह था कि मंदिर भूमि का विधि विरुद्ध रूप में रहन या विक्रय न हो सके। इस आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में जमाबंदी से पुजारियों के नाम हटाए गए।

उक्त परिपत्र में दिये गये निर्देशों की सही क्रियान्विति नहीं करने या गलत व्याख्या करने के कारण मन्दिर माफी की भूमियों के संबंध में समस्याएँ राज्य सरकार के ध्यान में लाई गईं। अतः राज्य सरकार के ध्यान में लाई गईं समस्याओं के निराकरण हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. पूर्व परिपत्र दिनांक 13.12.91 की पालना में जमाबन्दी में मूर्तिमंदिर के साथ पुजारी का नाम विलोपित करने के साथ यदि पृथक से इस हेतु संघारित रजिस्टर में उसका अंकन नहीं किया गया हो तो

- दिनांक 13.12.91 को जमाबन्दी में अंकित पुजारी/सेवायत का नाम इस हेतु पूर्व निर्देशित पृथक रजिस्टर में दर्ज कर दिया जाये।
2. राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 9 के अन्तर्गत खातेदार पट्टेदार खादिमदार के रूप में पुजारियों को मिली खातेदारी वाले पुजारी जिनका गलत रूप में विलोपन कर दिया गया है और जिन्हे पुनः खातेदारी दी जा सकती है। इस संबंध में पूर्व में राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 13.12.1991 के उपरान्त दिनांक 24.5.2007 व परिपत्र दिनांक 25.11.2011 को जारी परिपत्र में इन्हे खातेदारी दिये जाने हेतु निर्देश व स्पष्टीकरण भी जारी किया गया है, जिनका प्रकरणवार विधिक परीक्षण कर सही पाये जाने पर खातेदार बन चुके पुजारियों के नाम जमाबन्दी के खातेदार के कॉलम में अंकित किए जाने की यथोचित कार्यवाही की जाए।
 3. परिपत्र दिनांक 13.12.1991 के प्रावधानानुसार मंदिर की भूमियों हेतु पृथक पंजिका बना कर उसमें पुजारियों के नाम दर्ज किये जावे, उसको पारदर्शी एवं नियमित रूप से अद्यतन रखने हेतु पंजिका को ऑनलाईन कम्प्यूटराईज्ड रूप में एल.आर.सी. पर जमाबन्दी से लिंक किये जाने की कार्यवाही की जाये। मंदिर से संबंधित खाते की जमाबन्दी की नकल के साथ आवश्यक रूप से पुजारी का यह प्रपत्र अपने समुचित प्राधिकार के साथ जारी/प्रदान किया जाएगा।
 4. मंदिर भूमि हेतु परिपत्र दिनांक 13.12.1991 द्वारा निर्धारित पंजिका में वर्णित पुजारी मंदिर भूमि के संरक्षक के रूप में निम्नानुसार अनुमत/प्राधिकृत होंगे:-
 - मंदिर भूमि के विकास के लिए संबंधित विभाग के नियमानुसार विद्युत, पेयजल, ट्यूबवेल आदि के लिए कनेक्शन हेतु।
 - फसल खराबे की स्थिति में नियमानुसार सहायता अनुदान हेतु।
 - कृषि विभाग की योजना अनुसार भूमि सीमा में पात्र होने पर बीज, कृषि उपादान आदि पर नियमानुसार अनुदान प्राप्त कने हेतु।
 - इसी प्रकार राज्य सरकार की अन्य योजनाओं, जिसमें भूमि रहन न होती हो, उसमें उन्हें यथा प्रावधान लाभ दिया जा सकेगा।
 - मंदिर के नाम बैंक खाता होने पर इसका संचालक एवं उपयोगकर्ता पुजारी को बनाया जा सकेगा। इसमें प्रत्येक पुजारी बहैसियत मंदिर के संरक्षक के रूप में नियमानुसार योजनांतर्गत लाभ हेतु अनुमत/प्राधिकृत होगा।

5. मंदिर भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति पुजारी या पटवारी द्वारा ध्यान में लाये जाने पर तहसीलदार अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही इस प्रकार करेंगे जैसे कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमी के विरुद्ध करते हैं तथा मंदिर मूर्ति के हितों के संरक्षण हेतु दायित्वाधीन होंगे। जिला कलक्टर मूर्तिमंदिर की भूमि संबंधी अतिक्रमण रिपोर्ट सिवायचक/चारागाह भूमि की तरह राजस्व कर्मियों से नियमित रूप से प्राप्त कर धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत उनके प्रकरण दर्ज कर तदनुसार प्रभावी निस्तारण करेंगे।



(अनिल कुमार अग्रवाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. शासन सचिव, देवस्थान विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निबंधक राजस्व मण्डल, अजमेर।
3. जागीर आयुक्त राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त संयुक्त शासन सचिव, राजस्व विभाग।
5. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव